हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 23 अगस्त, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

शोकोद्‌गार

23.8.2017/1100/av/as/1

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री बलवन्त सिंह नेगी, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक श्री बलवन्त सिंह नेगी का 21 अगस्त, 2017 की रात्रि को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

स्वर्गीय श्री बलवन्त सिंह नेगी का जन्म 28 फरवरी, 1929 को सांगला, जिला किन्नौर में हुआ था। उन्होंने मैट्रिंक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी।

स्वर्गीय श्री बलवन्त सिंह नेगी वर्ष 1963 में राज्य विधान सभा के लिए नामित सदस्य के रूप में चुने गए थे। वे ग्राम पंचायत कल्पा के 5 वर्ष तक प्रधान रहे। वे खण्ड विकास समिति व कांग्रेस कमेटी जिला किन्नौर के अध्यक्ष भी रहे।

उनकी सामाजिक कार्यों, गरीब लोगों की सेवा, कृषि तथा बागवानी में विशेष रुचि थी। उन्होंने हमेशा ही पिछड़े व कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया।

यह माननीय सदन श्री बलवन्त सिंह नेगी जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

अध्यक्ष : अब श्री जगत सिंह नेगी जी माननीय उपाध्यक्ष शोकोद्गार पर अपने विचार व्यक्त करेंगे।

23.8.2017/1100/av/as/2

उपाध्यक्ष (श्री जगत सिंह नेगी): अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री बलवन्त सिंह नेगी जी, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर जो शोकोद्गार प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पेश किया है उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं।

स्वर्गीय बलवन्त सिंह नेगी जी मेरे चुनाव क्षेत्र से थे और इस मान्य सदन के मनोनीत सदस्य रहे। वे काफी लम्बे अर्से से अस्वस्थ चल रहे थे और 21 अगस्त को उनकी मृत्यु हुई है।

श्री टी सी द्वारा जारी

23.08.2017/1105/TCV/AS/1

शोकोद्गार ....श्री जगत सिंह नेगी (मा0 उपाध्यक्ष).. . जारी

वह बड़े लम्बे अर्से तक किन्नौर की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनके निधन से पूरे इलाके में काफी गहरा दुःख है। मैं भी इनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं और दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।

23.08.2017/1105/TCV/AS/2

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख का विषय है कि स्वर्गीय श्री बलवन्त सिंह जी का कल सायं निधन हुआ और आज उनका दाह संस्कार होगा। वे इस माननीय सदन के मनोनीत सदस्य थे और वर्ष 1955 में इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादी किन्नौर के 'शोंग' गांव के रहने वाले थे। वे कल्पा में 5 साल तक ग्राम पंचायत के प्रधान भी रहे हैं। इसके अलावा वे खण्ड विकास समिति और कांग्रेस कमेटी, जिला किन्नौर के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे एक बहुत बढ़िया कृषक थे और बागवानी में काफी रूचि रखते थे। इनके निधन से जो क्षति हुई है, वह कभी पूरी नहीं होगी। मैं ऑपोजीशन विधायक दल की ओर से इनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।

23.08.2017/1105/TCV/AS/3

अध्यक्षः स्वर्गीय श्री बलवन्त सिंह नेगी, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं, मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। इस मान्य सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा।

अब मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के मौन खड़े हो जाएं।

(सदन के सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा)।

प्रश्नकाल आरम्भ

श्री भारद्वाज जी आप कुछ बोलना चाहते हैं।

23.08.2017/1105/TCV/AS/4

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, कल हमने नियम-67 के अन्तर्गत इस सदन की बिज़नेस को स्थगित करके प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए नोटिसिज़ दिए थे, जो आपने पैंडिंग रखे हैं। उन नोटिसिज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं कि उन नोटिसिज़ के बारे में आपने क्या निर्णय लिया? क्या हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं? आज भी सरकाघाट के धर्मपुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग कन्या का अपहरण किया गया और उसके साथ गैंगरेप किया गया है। इस प्रकार की घटनाएं हररोज़ हो रही हैं। क्या ये सदन आंखें मूंदे बैठा रहेगा? हम जो बिज़नेस देख रहे हैं, उसमें कल नियम-130 के अन्तर्गत जो 'बाढ़ की स्थिति पर' चर्चा लगाई गई थी, उसको नम्बर-। पर लगा दिया गया है। जिन लोगों (मा0 सदस्यों) के नाम से

कल ये चर्चा लगी थी, तो एडजोर्नमैंट के बाद कल का बिजनेस समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन वह चर्चा एक रूलिंग पार्टी के मेंबर के नाम से आज लगा दी है, जो ऑपोजिशन के मेंबर थे, उनके नाम उससे हटा दिए गये हैं और दूसरे नम्बर पर इसको लगा दिया गया है।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा जारी.....

23.08.2017/1110/ns/dc/1

श्री सुरेश भारद्वाज .... जारी।

हमारा निवेदन है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईश्यू है। यह हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था का सवाल है और कानून व्यवस्था पर इस सदन की सारी कार्यवाही स्थगित होनी चाहिए तथा सदन में इस पर एकदम चर्चा होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारा आपसे निवेदन है। आप दोनों पक्षों का प्रोटैक्शन करेंगे। हम आपकी प्रोटैक्शन में हैं। अगर आप हमारी प्रोटैक्शन नहीं करेंगे तो सदन कैसे चलेगा? लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकतन्त्र का यह तकाज़ा है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन में बिजनैस को स्थगित करके तुरन्त चर्चा शुरू की जाए। कोई भी प्रश्न इससे महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। आज की घटना पर चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। कोटखाई की घटना तो हो गई है। होशियार सिंह की घटना भी घटित हुई है। सारे प्रदेश का आज इतना बुरा हाल है कि लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो गया है। महिलाएं तो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। ऐसे समय में भी अगर हम इस सदन में आंखें मूंद कर बैठे रहेंगे और बाकी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे तथा इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र नहीं चल सकता है, सरकार नहीं चल सकती है।

संसदीय कार्य मंत्री : ...(व्यवधान)... कल भी चर्चा के लिए विषय लगे हुए थे और आज भी चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)....

श्री सुरेश भारद्वाज : सर, कल संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि यह मामला सब-ज्यूडिस है और आज यह कह रहे हैं कि इन पर चर्चा हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इनका पिछले कल का बयान सही है या आज का सही है, जो घंटे- घंटे के बाद अपने बयान बदलते हैं । नियम 67 के अंतर्गत चर्चा होनी चाहिए...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, तुरंत इस कार्यवाही को स्थगित करके चर्चा होनी चाहिए। हमारा ऐसा सीधा-सीधा मानना है।

अध्यक्ष : आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...

23.08.2017/1110/ns/dc/2

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश भारद्वाज जी पेशे से व़कील हैं और इनको पता है कि बात को कैसे घुमाना है? इन्होंने कल जब बात शुरू की थी तो इन्होंने गुड़िया प्रकरण से की थी और मैंने उसमें कहा था कि यह मामला सब-ज्यूडिस है। आज जब पूरे प्रकरण पर चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)... और जब चर्चा हो रही है ...(व्यवधान)...जब इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने सिर्फ गुड़िया प्रकरण की बात की थी। जब मैंने इनको रिप्लाई दिया तब इन्होंने ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : प्लीज आप बैठ जाईए। एक मिनट प्लीज ...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारा माननीय विपक्ष से आग्रह है कि जब आज ही प्रश्न काल के बाद चर्चा लगी हुई है ...(व्यवधान)... अगर आप चाहते हैं तो ...(व्यवधान)... प्रश्न भी आप लोगों के ही लगाये हुए हैं। ये सारे प्रश्न आपके द्वारा ही लगाए गए हैं। ...(व्यवधान)... प्रश्नकाल किसी भी विधान सभा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। पहले प्रश्नकाल होगा। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : एक मिनट बैठ जाईए। ...(व्यवधान)... एक मिनट बैठिए और मेरी बात सुनिए। जब मैं आपकी बात शांतिपूर्वक सुन रहा हूं तो आपको भी इतना धैर्य होना चाहिए कि आप मेरी बात भी सुनें। अगर कोई बात कही गई है तो उसका जवाब आपको भी सुनना चाहिए। ऐसा है कि कल जो आपने नियम-67 की चर्चा मांगी थी, उसके लिए मैंने आपको कल बता दिया था कि चर्चा इस नियम के अनुसार होल्ड नहीं हो सकती। क्योंकि रूल के अनुसार चर्चा के लिए अगर कोई और devices हैं तो नियम-67 की चर्चा नहीं लग सकती है। इसलिए ...(व्यवधान)... सुनिए। क्या आप सुनना नही चाहते हैं? क्या बात है? जब आप बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा । ...(व्यवधान)...

श्री रणधीर शर्मा : ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, कल आपने बोला था कि सरकार से जवाब मांगा है। आपने कल यह बोला था। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : मैंने जब चर्चा लगा दी है। ...(व्यवधान)... जब मैंने नियम-130 के तहत चर्चा लगा दी है तो सब बोल सकते हैं। इसका मतलब every Hon'ble Member can speak. इसकी चर्चा लगा दी है। ...(व्यवधान)... आप सब बोल सकते हैं। ...(व्यवधान)... इसका मतलब आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ...(व्यवधान)... जब मैंने नियम-130 के तहत

23.08.2017/1110/ns/dc/3

चर्चा लगा दी है तो आप बोलिए। Every Hon'ble Member can speak. ...(व्यवधान)...

आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

23/08/2017/1115/RKS/DC/1

अध्यक्ष ....जारी

(व्यवधान)... यह कौन-सा नियम है? मैंने आपको नियम तो बता दिया। मैंने यह चर्चा नियम-130 के अंतर्गत लगा दी है और आप इस नियम के तहत चर्चा कर सकते हैं। (व्यवधान)... आप में सुनने का धैर्य नहीं है। आप पूरी बात नहीं सुनते और उत्तेजित हो जाते हैं। नियम-67 के अंतर्गत यह चर्चा नहीं हो सकती। (व्यवधान)... मैं आपके गलत कामों को देखने के लिए बैठा हूं। (व्यवधान)... नियम-67 के अंतर्गत यह नहीं लगेगा। आप चर्चा में इंटरस्टिड नहीं हैं? (व्यवधान)... आप अपनी बात तो कह रहे हैं, आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। आप धैर्य रखिए। आप मेरी बात सुनिए। आपने सदन को चलाना है, जैसा आप कहेंगे वैसे ही यह सदन चलेगा। (व्यवधान)... Don't be rash otherwise I will keep you out. एक मिनट, मैं बोलना चाहता हूं -" A matter which can be raised under any other procedural device , viz., calling attention notices, questions, short notice questions, half-an -hour discussion, short duration discussion, etc. cannot be raised through an Adjournment Motion (Rule 67)".

(सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो गए और दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद विपक्ष के माननीय सदस्यों ने नारेबाजी आरम्भ कर दी।)

अध्यक्षः आपका विषय नियम-130 के अंतर्गत लगा दिया है। (व्यवधान)... ।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह और इनके साथी आज माननीय सदन में गुंडागर्दी पर उत्तर आए हैं। आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। (व्यवधान)... आप सदन के अंदर सभ्य भाषा का प्रयोग करो। आप माननीय अध्यक्ष को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे।)

23/08/2017/1115/RKS/DC/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये जिस तरह के नारे लगा **रहे हैं** यह असभ्य भाषा है। आप (विपक्ष) तमीज़ से बात कीजिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करने में ।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते रहे।)

श्री बी. एस0 द्वारा जारी...

23.08.2017/1120/बी एस/एच के/1
मुख्यमंत्री द्वारा .....जारी

अध्यक्ष महोदय, जो ये (विपक्ष) बोल रहे हैं उसे रिकॉर्ड न किया जाए, ये गालियां दे रहे हैं। (व्यवधान...) (विपक्ष की ओर से नारे बाजी)

Speaker: I think they are not interested to discuss the matters. क्या आप किसी डिस्क्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? They don't want to take any part in the proceedings.

मुख्यमंत्री : ये (विपक्ष के माननीय सदस्य) अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। They should be censured for it. (व्यवधान...) हम एसे नारे से डरने वाले नहीं है।

Speaker: I adjourn the House for 15 minutes.

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

23/08/2017/1140/DT/YK/1

सदन की बैठक 1140 बजे पूर्वाह्न ुनः आरम्भ हुई

(श्रीमती आशा कुमारी, सभापति पदासीन हुई)

सभापतिः अब इस माननीय सदन की कार्यवाही दोपहर 12.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

श्री एस0एल0 एस0 द्वारा ... जारी

23.08.2017/1200/SLS-YK-1

अध्यक्ष :

(प्रश्न काल समाप्त)

(विपक्ष के कुछ सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, एक मैंबर आपकी सीट पर बैठकर हाऊस को एडजर्न करके चला गया। ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : उन्होंने जो हाऊस को एडजर्न किया है, उनको मैंने ही भेजा था। ...(व्यवधान)...आपको मैंने नहीं भेजा था। ...(व्यवधान)...मैंने आपको नहीं भेजा

था।...(व्यवधान)...मैंने ही उनको मैसेज दिया था कि आप बैठिए। ...(व्यवधान)...आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। I authorized the Hon'ble Member because she is a Chairman in the Panel,..(व्यवधान)...आपने अपनी बात कह दी है, अब आप ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनें। आपको अच्छा लगे तो आप ग्रहण कर लेना, अच्छा न लगे तो आपकी मरज़ी है। ...(व्यवधान)... सुन लीजिए। मैंने नियम-67 को स्टडी किया है। उसमें यह लिखा गया है कि अगर बाकी डिवाइसिज अवेलेबल हैं तो रैजोल्यूशन नियम-67 के अंतर्गत नहीं लग सकता। इसलिए ही हमने उसको नियम-130 में कंवर्ट करके लगाया है। इसमें बात यह है कि जब डिसकशन होगी तो इसमें सभी मैंबर भाग ले सकते हैं। यह चर्चा के लिए खुला है और इसमें हम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें आप जितना मरज़ी बोलना चाहें, बोलें। नियम-67 के अंतर्गत मैंने इसको डिस-अलौ कर दिया है और अब इसे नियम-130 में लगा दिया गया है। अब जब इसे नियम-130 के अंतर्गत लगा दिया गया है तो आप इस पर चर्चा कीजिए, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि they are ready for discussion, इसलिए आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ...(व्यवधान)...आपका ही रैजोल्यूशन मैंने नियम-130 के अंतर्गत लगाया है। ...(व्यवधान)...ऐसा नहीं है। आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान)...आप मेरी बात भी तो सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... You should have the patience to listen. मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान)...आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं न

23.08.2017/1200/SLS-YK-2

तो बायस्ड हूं और न ही in favour or against हूं। ...(व्यवधान)... बात यह है कि कल वह रैजोल्यूशन आया था जिसमें आप लोगों के नाम थे। ...(व्यवधान)...आप बैठिए न। आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं यह कह रहा हूं कि वह रैजोल्यूशन लैप्स हो गया है और उसके बाद माननीय सदस्य कुलदीप कुमार ने दोबारा रैजोल्यूशन दिया है। जब उन्होंने दिया तभी उसको दोबारा लगाया गया है। पिछला

रैजोल्यूशन लैप्स हो गया है और लैप्स होने के कारण वह नहीं लगा है।...(व्यवधान)..But nevertheless you can speak.

श्री ...जारी

23/08/2017/1205/RG/YK/1

---(**व्यवधान**)---

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं कल से समय मांग रहा हूं। इधर भी देखिए और मैं भी आपसे प्रोटैक्शन मांग रहा हूं।

अध्यक्ष : जब सारे सदस्य चुपचाप रहें तभी तो समय दिया जाएगा। जब चुप ही नहीं होना है, शोर ही मचाना है, तो किस चीज का समय दें?

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से इतना नुकसान हुआ है, बहुत विचित्र स्थिति है और कई लोगों की मृत्यु हुई हैं। वह भी एक चर्चा का विषय है। ---(व्यवधान)---

श्री सुरेश भारद्वाज : और जो प्रदेश में हत्याएं, बलात्कार और लूट हो रही है वह इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। ---(व्यवधान)----

अध्यक्ष : आज दिनांक 23 अगस्त, 2017 को मैंने 11.25 मिनट पर सदन को बीस मिनट के लिए स्थगित किया था। जैसे ही 11.40 मिनट का समय हुआ, श्रीमती आशा कुमारी, माननीय सदस्य जो पीठासीन अधिकारी के पैनल में हैं, को प्राधिकृत किया कि वह सदन की कार्यवाही चलाएं। जैसे ही श्रीमती आशा कुमारी पीठासीन हुईं, उन्होंने सदन की सैंस लेकर सदन को पुनः 12.00 बजे तक स्थगित कर दिया। इसमें आपको क्या ऐतराज़ है?---(व्यवधान)---

23/08/2017/1205/RG/YK/2

<u>कागजात सभा पटल पर</u>

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (द्वितीय संशोधन) रूल्ज़, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः का0 (नि-4)-ए(3)-3/84-IV दिनांक 19.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.04.2017 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री के स्थान पर माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4)के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सभा ***मण्ड***प **में** आ**कर** *नारेबाजी कर* ***ने लगे****)*

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

23/08/2017/1205/RG/YK/3

i. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 31 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम

(निर्वाचन) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः यू0डी0ए0(3)-7/2011-लूज़ दिनांक 10.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.04.2017 को प्रकाशित; और

ii. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 31 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः यू0डी0ए0(3)-7/2011-लूज़ दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.05.2017 को प्रकाशित।

23/08/2017/1205/RG/YK/4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। अब श्री अजय महाजन, सदस्य, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अजय महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **183वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित है;

ii. समिति का **184वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

(राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्रों) पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है; और

iii. समिति के **143वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 163वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

23/08/2017/1205/RG/YK/5

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप नारेबाजी **करने लगे***)*

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

i. समिति का **30वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों एवं आय-व्ययक प्राक्कलनों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

ii. समिति का **31वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में शहरी विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित है; और

iii. समिति का **32वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्ष : अब श्री संजय रतन, सदस्य, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

Shri Sanjay Rattan: Mr Speaker, Sir, with your permission I present and lay on the Table of the House a copy of the following reports of the Committee on Public Undertakings :-

समिति का **75वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के ऑडिट पैरा संख्या:3.8 से 3.10 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है;
23/08/2017/1205/RG/YK/6

i. समिति का **76वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेद वर्ष 2010-11(वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या:2.9 से 2.20 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है;और

iii. समिति का **77वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 28वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

एम.एस. द्वारा अध्यक्ष महोदय शुरू

22/08/2017/1210/MS/AG/1

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्षः अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री खूब रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति का **37वां** मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित मुख्य मन्त्री आदर्श ग्राम योजना की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन प्रशासन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं जोकि इस प्रकार हैं :-

i. समिति का **35वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और
ii. समिति का **36वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

अध्यक्षः अब श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, मानव विकास समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2017-18), समिति का **26वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यों की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है तथा **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

22/08/2017/1210/MS/AG/2

वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगे

अध्यक्षः अब माननीय मुख्यमंत्री वर्ष 2010-2011 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अनुदानों तथा विनियोगों पर अधिक मांगों का विवरण माननीय सदन में रखता हूं।

अध्यक्षः लोक लेखा समिति ने इस संबंध में अपनी सिफारिश कर दी है। अतः परम्परा के अनुरूप इस पर चर्चा नहीं होती है इसलिए मैं संबंधित मांगों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूं जोकि इस प्रकार हैंः-

Himachal Pradesh Twelfth Vidhan Sabha
(Sixteenth Session)

August, 2017

Demand No.	Name of Demand		Amount of Demand to be submitted to the Vote of House
1	2		3
01	Vidhan Sabha	(Revenue)	23,81,761
04	General Administration	(Revenue)	97,37,598
05	Land Revenue and District Administration	(Revenue)	411,14,96,607
07	Police and Allied Organisations	(Revenue) (Capital)	8,26,42,072 69,70,000
09	Health and Family Welfare	(Revenue)	35,31,09,116
10	Public Works-Roads, Bridges and Buildings	(Revenue)	219,60,21,928
11	Agriculture	(Revenue) (Capital)	12,20,28,818 20,19,282
12	Horticulture	(Revenue)	6,73,47,734
13	Irrigation, Water Supply and Sanitation	(Revenue) (Capital)	586,71,82,729 47,04,06,048
14	Animal Husbandry, Dairy Development and Fisheries	(Revenue) (Capital)	13,94,34,337 88,32,000

1	2		3
16	Forest and Wildlife	(Revenue)	3,89,25,060
18	Industries, Minerals, Supplies and Information Technology	(Revenue)	3,51,89,445
23	Power Development	(Revenue) (Capital)	631,76,20,899 2,97,24,000
26	Tourism and Civil Aviation	(Revenue)	38,34,076
27	Labour, Employment and Training	(Revenue)	3,02,27,977
29	Finance	(Revenue)	202,59,45,863
30	Miscellaneous General Services	(Revenue)	65,25,303
31	Tribal Development	(Revenue)	35,28,09,689
32	Scheduled Caste Sub-Plan	(Revenue)	7,39,49,314
	Total	**(Revenue)** **(Capital)**	**2183,64,10,326** **51,79,51,330**
		Grand Total	**2235,43,61,656**

August, 2017

Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha

22/08/2017/1210/MS/AG/5

मांगों पर विचार एवं पारण

अब मांगों पर मतदान होगा। मैं सभी मांगों को एक साथ ही सदन में मतदान के लिए लेता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वर्ष 2010-2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्या 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

तो प्रश्न यह है कि वर्ष 2010-2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मांग संख्याः 1, 4, 5, 7, 9,10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत हुए अधिक व्यय को नियमित करने हेतु राज्यपाल महोदय को अधिक व्यय की गई राशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं?

प्रस्ताव स्वीकार

सभी मांगें पूर्ण रूप से पारित हुईं।

22/08/2017/1210/MS/AG/6

विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "**हिमाचल प्रदेश विनियोग** (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "**हिमाचल प्रदेश विनियोग** (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि **हिमाचल प्रदेश विनियोग** (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री **हिमाचल प्रदेश विनियोग** (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि **हिमाचल प्रदेश विनियोग** (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) पुरःस्थापित हुआ।

अगला बिल श्री जे0के0 द्वारा---

23.08.2017/1215/जेके/एएस/1

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9)को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुमति दी गई

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9)को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9)को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

23.08.2017/1215/जेके/एएस/2

सरकारी विधेयक पर विचार विमर्श एवं पारण

अध्यक्षःअब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7)पर विचार किया जाए।"

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7)पर विचार किया जाए।"

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7)पर विचार किया जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार
अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

23.08.2017/1215/जेके/एएस/3

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगें कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7)को पारित किया जाए।"

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) को पारित किया जाए।"

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7)को पारित किया जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकार)

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 3)विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 7) पारित हुआ।

अध्यक्ष एसएस की बारी में--

23.08.2017/1220/SS-AS/1

अध्यक्षः मैं आप सभी (विपक्ष) से निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपके ही रैजोल्यूशन आ रहे हैं उसकी चर्चा में आप भाग लीजिये। --(व्यवधान)-- ये आपके ही रैजोल्यूशन आ रहे हैं इसमें चर्चा कीजिए, जितना मर्जी बोलिये। --(व्यवधान)-- आप चर्चा कीजिये, आपका विषय चर्चा के लिए लगा है। --(व्यवधान)--

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप नारेबाजी करते रहे।)

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 24 अगस्त, 2017 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 23 अगस्त, 2017 **सचिव।**